...ख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिषियल्स जज **राजस्व आवेदन संख्या 175/2019 अनवान हनुमानराम बनाम दौलाराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
	राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान राजीव गांधी सेवा केन्द्र शिवकर पर जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 09.10.2021 को राजीव गांधी सेवा केन्द्र शिवकर पर पेश हो। (रोहित चौहान) उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर	
09.10.2021 (रोहित चौहान) उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर	पत्रावली राजीव गांधी सेवा केन्द्र शिवकर में पेश हुई। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अनुपस्थित। अप्रार्थीगण के नॉटिस तामिल की श्रेणी में प्राप्त हो चुके है। अप्रार्थीगण आज सूचना बावजूद अनुपस्थित होने से उनके विरूद्व ईकतरफा कार्रवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी ने भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131, 136 के तहत् प्रकरण प्रस्तुत किया। प्रकरण मे तहसीलदार बाड़मेर से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार बाड़मेर की रिपोर्ट अनुसार रेकर्ड की जॉच की गई। ग्राम नैनवा के खसरा नंबर 1147/350 रकबा 138 बीघा किस्म बारानी सोयम मे रेकर्ड का अवलोकन राजस्व आवेदन संख्या 175/2019 के संबंध में किया गया। वक्त सैटलमेंट ग्राम शिवकर के खसरा नंबर 350 में जेता, जोधा व हरजी पिसरान देवा का 1/3 हिस्सा दर्ज था जमाबंदी सम्वत् 2018 से 2021 मे हिस्सा 1/9 दर्ज हुआ है जो वर्तमान जमाबंदी में चला आ रहा है। जमाबंदी वर्तमान में दर्ज खातेदार दौलाराम, अचलाराम पि0 पूनमाराम गवरीदेवी पत्नी पूनमाराम खींया वल्द जेता मोटा वल्द पेहलाद मु0 जाली बेवा प्रहलाद जैसाराम जोधाराम हड़ूमान पि0 सताराम चूनी पत्नी सताराम हरखू पत्नी जोधा हड़ूमान वल्द हरजी 1/9 दर्ज है। राजस्व आवेदन अनुसार उपरोक्त हिस्सा 1/3 करवाना चाहा है। सेग्रीगेशन हिसाब से 1/3 हिस्सा सही है। तहसीलदार बाड़मेर से प्राप्त रेकर्ड की रिपोर्ट के आधार पर मौजा नैनवा के खसरा नंबर 1147/350 रकबा 138 बीघा किस्म बारानी सोयम मे रेकर्ड अनुसार ग्राम शिवकर के खसरा नंबर 350 में जेता, जोधा व हरजी पिसरान देवा का 1/3 हिस्सा दर्ज था जमाबंदी सम्वत् 2018 से 2021 मे हिस्सा 1/9 दर्ज हुआ को पुनः पूर्व अनुसार 1/3 दुरूस्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। आदेश अलग से जारी किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश मजमे आम में सुनाया गया।	